राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2209/2023

डॉ. गोविन्द नारायण अग्रवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, जयपुर (राज.)।
3. प्राचार्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय अस्पताल, करौली (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.08.2023

आदेश की दिनांक : 10.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री शोभित व्यास, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री राजेश यादव, ओआईसी

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 29.11.2021, 06.04.2022 एवं 14.06.2023 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को स्वयं के निवास पर रहने दिया जावे तथा मकान किराया भत्ता आदि भी दिया जावे और जो मकान किराया भत्ता वसूला गया है, वह वापस लौटाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय चिकित्सालय, करौली में कार्यरत है। आदेश दिनांक 29.11.2021 के द्वारा अपीलार्थी को नया राजकीय आवास आवंटित किया गया, जो कमेटी द्वारा एमसीएच विंग में आवंटित किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा पुनः आदेश दिनांक 06.04.2022 जारी किया गया, जिसके द्वारा अपीलार्थी को 7 दिवस के अंदर राजकीय आवास में रहने हेतु आदेश किया गया और अपीलार्थी ने उक्त आदेश के विरूद्ध अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 979/2023 प्रस्तुत की, जिसके क्रम में अधिकरण ने आदेश दिनांक 22.03.2023 के द्वारा अभ्यावेदन दिये जाने एवं उसका निस्तारण किये जाने का आदेश दिया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 24.04.2023 को अभ्यावेदन दिया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया और अपीलार्थी ने उक्त आवंटित राजकीय आवास को किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित किये जाने का अनुरोध किया। उसका कथन है कि आवंटित राजकीय आवास शहर से दूर जंगली क्षेत्र में है। जहां पर असामाजिक तत्व एवं अन्य खतरे हैं, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसके अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया गया। वेतन पर्ची के अनुसार माह अप्रेल, 2022 में मकान किराया भत्ता रूपये 11,754/– था और मई, 2022 में मकान किराया भत्ता रूपये 9,403/– था। जिसके संबंध में अपीलार्थी ने विस्तृत अभ्यावेदन दिनांक 21.04.2023 को दिया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया और अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और विभाग द्वारा दिनांक 21.04.2023 को अभ्यावेदन निस्तारित कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 29.11.2021, 06.04.2022 एवं 14.06.2023 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को स्वयं के निवास पर रहने दिया जावे तथा मकान किराया भत्ता आदि भी दिया जावे और जो मकान किराया भत्ता वसूला गया है, वह वापस लौटाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से ओआईसी ने मौखिक रूप से बहस करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को नियमानुसार राजकीय आवास आवंटित किया गया है, जिसमें अपीलार्थी ने आज दिनांक तक रहना प्रारंभ नहीं किया है, जो

आवंटित आदेश की अवहेलना है। आवंटित आदेश की पालना में अपीलार्थी को राजकीय आवास का उपभोग करना चाहिये। जबकि अपीलार्थी आवंटित स्थान पर नहीं रह रहा है, जो नियमों के विपरीत है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय चिकित्सालय, करौली में कार्यरत है। आदेश दिनांक 29.11.2021 के द्वारा अपीलार्थी को नया राजकीय आवास आवंटित किया गया, जो कमेटी द्वारा एमसीएच विंग में आवंटित किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा आदेश दिनांक 06.04.2022 जारी किया गया, जिसके द्वारा अपीलार्थी को 7 दिवस के अंदर राजकीय आवास में रहने हेतु आदेश किया गया और अपीलार्थी ने उक्त आदेश के विरूद्ध अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 979/2023 प्रस्तुत की, जिसके क्रम में अधिकरण ने आदेश दिनांक 22.03.2023 के द्वारा अभ्यावेदन दिये जाने एवं उसका निस्तारण किये जाने का आदेश दिया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 24.04.2023 को अभ्यावेदन दिया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया। जहां तक अपीलार्थी के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश दिनांक 29.11.2021, 06.04.2022 एवं 14.06.2023 को निरस्त किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 29.11.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि एमसीएच विंग, करौली में कार्यरत चिकित्सक/कार्मिकों को आवास आवंटन कमेटी की अभिशंषा पर एमसीएच विंग में नवनिर्मित आवास आवंटित कर आवास अधिग्रहण करने एवं पालना रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया और आदेश दिनांक 06.04.2022 के द्वारा 7 दिवस में आवास अधिग्रहण करने का निर्देश दिया गया तथा दिनांक 14.06.2023 के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण करते हुये यह आदेश दिया कि एमसीएच परिसर में आवंटित राजकीय आवासों में निवास सुनिश्चित करें ताकि शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल भली प्रकार से हो सके और नियत समय पर चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके। हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी का निज निवास करौली शहर में ही है और करौली शहर में ही राजकीय चिकित्सालय है और इस

प्रकार अपीलार्थी का निवास शहर सीमा अंदर ही है और विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 11.04.2022 जिसके द्वारा अपीलार्थी को एमसीएच विंग मण्डरायल रोड, करौली परिसर में उपस्थित आवासों का आवंटन किया गया है। परंतु उसमें यह शर्त अंकित नहीं है कि आवंटित पश्चात् अपीलार्थी को राजकीय आवास अधिग्रहण करना ही होगा। इस प्रकार उक्त आदेश के क्रम में अपीलार्थी को राजकीय आवास अधिग्रहण करने हेतु बाध्य नहीं किया गया है। अतः हमारे मत में अपीलार्थी को यदि राजकीय आवास आवंटित विभाग द्वारा किया भी गया है तो अधिग्रहण करने के संबंध में अपीलार्थी को बाध्य नहीं किया जा सकता और न ही इस प्रकार का कोई प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्रावली पर दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलार्थी को आवंटित पत्रांक राजकीय आवास अधिग्रहण करना पडेगा। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है आलोच्य आदेश दिनांक 29.11.2021, 06.04.2022 एवं 14.06.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है तथा अपीलार्थी को नियमानुसार मकान किराया भत्ता आदि प्रदान किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य